राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	प्रस्तुतीकरण की दिनांक	अधिवक्तागण का नाम
1.	4077/2018 बग्गुराम	1. निदेशक, अभियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. सहायक निदेशक, अभियोजन, हनुमानगढ, जिला हनुमानगढ। 3. कार्मिक विभाग जरिये सचिव, राजस्थान, जयपुर।	05.10.2018	श्री जैनेन्द्र जैन अधिवक्ता एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	4078/2018 बालुराम			
3.	4079/2018 राजपाल सिंह			

आदेश की दिनांक : 05.12.2022

समक्ष :– अनंत भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने से अपील संख्या 4077/2018 बग्गुराम बनाम राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, अभियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए न्यायहित में एक ही निर्णय से उक्त अपीलों को एक साथ निस्तारित किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी ने उक्त अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुई थी। नियुक्ति के समय अपीलार्थी माध्यमिक कक्षा तक अर्थात् दसवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता था और इस प्रकार अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता रखता था। वर्ष 2002 व 2003 में प्रमोशन के लिए योग्य कर्मचारियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल था। 2013 में डीपीसी में अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। बाद में कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए नियम में संशोधन कर जुलाई 2013 के पश्चात् शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक कक्षा के स्थान पर उच्च माध्यमिक कक्षा अर्थात् बारहवीं पास की गई। यदि प्रत्येक वर्ष डीपीसी का आयोजन किया जाता तो, अपीलार्थी को पदोन्नति प्राप्त हो जाती। अपीलार्थी ने अपील में उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जावें कि वो कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करें एवं अपीलार्थी को योग्य मानते हुए उसके नाम पर विचार किया जाये एवं अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति एवं समस्त अनुप्रासंगिक लाभ प्रदान किये जाये।

3. अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि दिनांक 01.08.2013 से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए कार्मिक/अपीलार्थी का 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता होना एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक था। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के द्वारा उक्त योग्यता में संशोधन करते हुए उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कम्प्यूटर का ज्ञान एवं 5 वर्ष का कार्यानुभव संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये गए जो कि दिनांक 31.07.2013 के बाद से लागू किये गये है। वर्ष 2013–14 के लिये विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए कुल 28 पद उपलब्ध थे, जिनमें से 21 पद दिनांक 01.08.2013 से पूर्व की योग्यता के थे तथा 7 पद कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.12.2012 के अनुसरण में थे। अपीलार्थी की योग्यता 10वीं उत्तीर्ण थी एवं अपीलार्थी का नाम दिनांक 01.04.2013 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 247 पर अंकित है। इससे पूर्व श्री चंचल सिंह राव जिनका वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 218 पर नाम अंकित था, तक के कार्मिकों को ही पदोन्नति प्रदान की गई थी। वर्ष 2013–14 के लिए दिनांक 31.07.2013 तक के लिए उपलब्ध 21 पदों के लिए हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री चंचल सिंह राव तक के 21 योग्य कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई है। वर्ष 2013–14 के लिये दिनांक 31.07.2013 के बाद निर्धारित योग्यता वाले कार्मिकों के लिए उपलब्ध 7 पदों के लिए हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से पदों को आगामी वर्ष में अग्रेषित किया गया है। अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण था तथा कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के द्वारा उक्त योग्यता में दिनांक 31.07.2013 के बाद निर्धारित संशोधित योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं पाये जाने के कारण से पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया।

4. अतः पक्षकारों द्वारा दिये उपरोक्त अभिवचनों व दिये गए तर्कों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में जो पदोन्नति की गई थी, उसमें 01.08.2013 से पूर्व की योग्यता के कुल 21 पद थे, जिसमें अपीलार्थी के संबंध में विचार किया जा चुका था, परंतु रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने पर वरियता सूची के क्रम संख्या 218 तक अर्थात् श्री चंचल सिंह राव तक को ही पदोन्नति दी गई। वरियता सूची में अपीलार्थी का नाम 247 पर था, अर्थात् पूर्व के नियमों में जो अंतिम व्यक्ति को पदोन्नति दी है, वो अपीलार्थी से वरिष्ठ था और उसका नाम 218 पर था। अपीलार्थी को पूर्व के नियमों के आधार पर पदोन्नति के रिक्त स्थान पर वरियता में नीचे होने के कारण स्थान नहीं गया एवं इसके पश्चात् नियम के बदले जाने से अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अयोग्य हो गया और इस आधार पर अपीलार्थी पदोन्नति योग्य नहीं पाया गया। चूंकि अब अपीलार्थी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता धारित नहीं करता है। अपीलार्थी को पदोन्नति के लिए अयोग्य माने जाने में कोई त्रुटि अथवा नियम विरूद्धता नहीं पाई जाती है।

5. उपरोक्त तीनों अपीलों में उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कोई बल नहीं पाते है। अतः उपरोक्त तीनों अपीलें खारिज की जाती हैं। इस आदेश की मूल प्रति को अपील संख्या 4077/2018 की पत्रावली पर रखा जाये एवं शेष दो अन्य अपीलों की पत्रावली पर इस आदेश की प्रति को रखा जावें।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)